

प्रेस नोट थाना राजघाट जनपद गोरखपुर दिनांक 14.03.2023

नाजायज चाकू के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों की रोकथाम एवं अवैध हथियार लेकर घूमने वाले मनबद्ध युवको की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर जनपद गोरखपुर के कुशल निर्देशन एवं पुलिस उपाधीक्षक कोतवाली जनपद गोरखपुर के कुशल पर्यवेक्षण में तथा राजेन्द्र सिंह थानाध्यक्ष थाना राजघाट गोरखपुर के कुशल नेतृत्व में 30नि0 कुँवर गौरव सिंह मय टीम द्वारा अभियुक्त देवाशंकर पासवान पुत्र स्व0 हरीबदन पासवान निवासी कल्याणपुर थाना सोनपुर जनपद छपरा राज्य बिहार को अवैध हथियार(एक अदद चाकू नाजायज) के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 91/2023 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट. पंजीकृत करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

देवाशंकर पासवान पुत्र स्व0 हरीबदन पासवान निवासी कल्याणपुर थाना सोनपुर जनपद छपरा राज्य बिहार

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 91/2023 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना राजघाट जनपद गोरखपुर

बरामदगी-

एक अदद चाकू नाजायज।

गिरफ्तार करने वाली टीम -

1. 30नि0 कुँवर गौरव सिंह चौकी प्रभारी टीपीनगर थाना राजघाट जनपद गोरखपुर
2. का0 नवीरसूल थाना राजघाट जनपद गोरखपुर
3. का0 कुन्दन कुमार थाना राजघाट जनपद गोरखपुर